



वित्त मंत्री

श्री सुरेश कुमार खन्ना

का

2020-2021 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2020–2021 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का बोध क्षेत्र है। गंगा यहाँ है, यमुना भी यहाँ है। ऋषियों की नदीतमा सरस्वती यहीं इसी भू क्षेत्र में प्रवाहित थीं। अब भले ही अदृश्य हों लेकिन हम सबके मानस में वे आज भी प्रवाहमान हैं। तीनों का संगम तीर्थराज प्रयागराज यहाँ है। यहीं 2019 में दुनिया के सबसे बड़े मेले कुम्भ का अभूतपूर्व आयोजन बहुत भव्यता के साथ किया गया।

फरवरी, 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय धान संस्थान, फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई। इसी काशी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी सांसद हैं। शुकदेव जी की कथा भूमि यहां है, श्री कृष्ण की रासभूमि, लीला भूमि भी यहीं है। श्री राम की पावनपुरी अयोध्या यहीं है, बुद्ध भूमि यहाँ है। इस प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री देश को दिये हैं।

उत्तर प्रदेश दर्शन, दिग्दर्शन, अध्यात्म, पौरुष, पराक्रम, धर्म, अर्थ और कामना पुरुषार्थों की कर्मभूमि है। हम इससे प्यार करते हैं। यह भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की यज्ञभूमि है। यह तत्व चिंतन व अर्थ चिंतन की भूमि है।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से योगी सरकार का यह बजट सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का हमारा अर्थ संकल्प है। आइए, सभी संकीर्णताएं त्याग कर हम सब राज्य का विकास करें और राष्ट्रीय विकास में सहभागी हों।

मान्यवर,

हमारा यह मानना है कि समाज के सर्वांगीण विकास के चार मुख्य स्तम्भ हैं—गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल सम्बर्द्धन तथा उनके लिये रोजगार, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय। प्रस्तुत बजट में इन चार आयामों पर विशेष बल दिया गया है।

यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017–2018 का बजट किसानों को समर्पित था तो वर्ष 2018–2019 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वर्ष 2019–2020 में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाये जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गयी। वर्ष 2020–2021 के लिये प्रस्तुत इस बजट को मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल सम्बर्द्धन, रोजगार के साथ-साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने के प्रति समर्पित करता हूँ।

मान्यवर,

आय-व्ययक अनुमानों का उल्लेख करने के साथ-साथ मैं वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धियों और सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का संक्षिप्त विहंगावलोकन इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

वर्तमान सरकार ने जब प्रदेश की कमान सम्भाली, उस समय हमारे समक्ष अपार चुनौतियां थीं। प्रदेश किसानों की ऋणग्रस्तता, दंगों, सामाजिक तनावों, असुरक्षित महिलाओं, स्कूल जाती बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ और अर्थव्यवस्था की बदहाली के दौर से गुजर रहा था। इन चुनौतियों को टीम वर्क के साथ अवसरों में बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया। जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर गाँव, गरीब, किसान, मजदूर को केन्द्रित कर योजनायें बनायीं गयीं। प्रदेश में सुशासन और विकास को एक नया आयाम मिला है।

इस अवधि में हुये कार्यों से उत्तर प्रदेश के प्रति लोकदृष्टि में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है।

प्रदेश ने अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुये विकास के हर क्षेत्र में नयी ऊंचाईयाँ हासिल की हैं—

गैर परों से उड़ सकते हैं,
हद के हद दीवारों तक ।
अम्बर तक तो वहीं उड़ेंगे,
जिनके अपने पर होंगे ॥

मान्यवर,

आधुनिक भारत के महान संत, मनीषी एवं युवाओं के लिये प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्द के जन्मदिन 12 जनवरी को 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव, 2020 के रूप में प्रदेश में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय एकता,

साम्प्रदायिक समभाव, भाईचारा व राष्ट्रीय पौरुष को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में पूरे देश से आये युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

सातवें कॉमनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसिएशन इण्डिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी, 2020 तक लखनऊ में पहली बार किया गया। इस अवसर पर कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट कार्यक्रम तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। कॉन्फ्रेंस में राज्य सभा एवं लोक सभा के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों की विधायिकाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

नमामि गंगे मिशन के अन्तर्गत 27 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक 5 दिवसीय **गंगा यात्रा** का आयोजन प्रदेश में किया गया। गंगा यात्रा का शुभारम्भ बिजनौर और बलिया दोनों स्थलों से किया गया। बिजनौर से कानपुर और बलिया से कानपुर तक की यात्रायें सड़क मार्ग और नाव द्वारा की गयीं। इस यात्रा में आठ केन्द्रीय मंत्रियों, यात्रामार्ग में पड़ने वाले जनपदों के प्रभारी मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के साथ जनसाधारण ने भी सक्रिय प्रतिभाग किया।

मान्यवर,

आप अवगत हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया जिसके अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये। मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर **राज्य नीति आयोग** का गठन किया जायेगा। राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिये रोडमैप तैयार किया जायेगा। जनपद स्तर पर यथार्थपरक योजनायें तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जायेगा।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना

माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक **05 ट्रिलियन यू0एस0 डालर इकोनॉमी** बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसे सम्भव बनाने के लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कम से कम **01 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकोनॉमी** बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण के लिये प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजीनिवेश के लिये आकर्षक गन्तव्य बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये हैं।

मात्र तीन साल के कार्यकाल में **इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस** का आयोजन किया गया और लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित किया गया, जो

प्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में अभूतपूर्व है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन में विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई। इसमें 23 एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेन्स कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किये गये जिनसे प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश सम्भावित है।

- प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बाई में "पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना" का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। परियोजना की कुल लागत लगभग 22 हजार 497 करोड़ रुपये है।
- गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिये लगभग 91 किलोमीटर लम्बाई में "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे" के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- "पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे" से बलिया को जोड़ने के लिये "बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे" के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लम्बाई का "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे" निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के लिये लाईफ लाइन सिद्ध होगा।
- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे "गंगा एक्सप्रेस-वे" जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा, के निर्माण का निर्णय लिया गया है। परियोजना हेतु 2 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु "डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर" परियोजना के लिये आवश्यक भूमि झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों में चिन्हित की गयी है।

नागरिक उड्डयन

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति"

प्रख्यापित की गई है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ नॉन-रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की इस नीति के सकारात्मक परिणामस्वरूप विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश से विभिन्न शहरों की हवाई कनेक्टिविटी तथा पैसेन्जर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 08 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है।

- जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के लिये 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 तक सम्भावित है।
- अयोध्या एयरपोर्ट के लिये 500 करोड़ रुपये तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिये 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था

राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य विधि व्यवस्था का प्रवर्तन है। वाल्मीकि जी ने रामायण में राजव्यवस्था विहीन स्थिति का वर्णन किया है –“ऐसे राष्ट्र में कृषि और पशुपालन नहीं होते। सभागृहों, उद्यानों, उपासना स्थलों व मंदिरों के निर्माण नहीं होते। भय व्याप्त रहता है। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते। सामाजिक उत्सव नहीं होते। व्यापारिक कार्य नहीं होते। पति-पत्नी साथ-साथ पर्यटन नहीं करते। अराजक दशा में लोग परस्पर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं।” ऐसी स्थिति यहां उत्तर प्रदेश में 2016 तक थी। भय था। उत्सवों के आयोजनों में दंगे थे। उपासना स्थलों व मंदिर निर्माण की चर्चा भी असम्भव थी। घोर अराजकता थी। व्यापारी वसूली के शिकार थे। वर्तमान सरकार ने हर स्तर पर अराजकता समाप्त करके कानून का शासन स्थापित किया है।

यहाँ मैं चंद पंक्तियों से, एक ओर समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले स्वार्थी, असामाजिक और राष्ट्रविरोधी ताकतों तथा, दूसरी ओर उनका डट कर मुकाबला करने की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहूँगा—

नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को,
इस व्यवस्था ने दिये हैं कुछ अनोखे कायदे।
एक तरफ शोर है, बगावत है,
माल है, मुल्क है, सियासत है,
एक तरफ हौसले हैं, मेहनत है,
नीति है, नियम है, हुकूमत है।

हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई है। कानून के डर से बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण कर अथवा स्वयं जमानत निरस्त करा कर जेल गये हैं। मार्च, 2017 से नवम्बर, 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये बड़ी

संख्या में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गयी।

वर्ष 2017 के सापेक्ष गत वर्ष दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार, डकैती में 53 प्रतिशत, हत्या में 14 प्रतिशत, लूट में 44 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण में 30 प्रतिशत तथा बलवा में 38 प्रतिशत की कमी आयी है। हमारी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय व कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2018 के दो आरोपितों को मृत्यु दण्ड, 67 को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजा हुई। वर्ष 2019 में 3 को मृत्यु दण्ड, 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजा हुई है।

प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीकॉप (UPCOP) मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें 28 सेवाओं यथा ई-प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किरायेदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। इन पर नियंत्रण हेतु **जनपद गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ में साइबर थाने** क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में **16 साइबर थाने** स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु गौतमबुद्ध नगर तथा लखनऊ में **पुलिस कमिश्नरी सिस्टम** लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसम्बर, 2019 से **सुरक्षा कवच योजना** प्रारम्भ की गई है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गन्तव्य तक सुरक्षित पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु 300 पी0आर0वी0 में दो-दो महिलायें हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं।

आगामी वर्ष के बजट में कानून व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित बजट व्यवस्था का मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा—

- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अग्निशमन केन्द्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना** हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं** के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सेफ सिटी लखनऊ योजना** हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी** की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुये पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को **अनुग्रह भुगतान** हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अग्निशमन सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ किये जाने हेतु सोलर पॉवर प्लान्ट्स की स्थापना के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फण्ड स्कीम** के अन्तर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **“स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना”** हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **“साईबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन”** हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ में महिला पी0ए0सी0 वाहिनियाँ स्थापित हैं।
- प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में दो महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में एक-एक महिला थाना स्थापित है।

महिला एवं बाल कल्याण

- “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **निराश्रित महिला पेंशन योजना** के अन्तर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की जाती है। इस योजनान्तर्गत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु “**स्वाधार गृह योजना**” का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये **राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम** अनुमोदित किया गया है जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जायेगी। इस योजना हेतु 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

युवाओं के लिये

युवा समाज के भविष्य के निर्माता हैं। किसी भी समाज का सार्थक एवं चतुर्दिक विकास युवा ऊर्जा, शक्ति एवं अनुशासन से ही सम्भव है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न कालखण्डों में न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व में युवाओं ने समाज की दिशा बदली है। प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुये मैं कहना चाहूँगा—

तुमने चाहा तो किया आसमान मुठ्ठी में,
तुमने चाहा तो हवाओं के रूख बदल डाले,
तुमने चाहा तो उफनते हुये सागर बांधे,
तुमने चाहा तो पर्वतों के सर कुचल डाले।।

- प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें —**मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना** तथा **युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA)** प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 इकाईयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुये उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2020-2021 से **मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना** को प्रारम्भ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश

के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जायेगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा, 1 हजार रुपये प्रतिमाह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि सम्बन्धित उद्योग द्वारा वहन की जायेगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को **युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA)** के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में **YUVA HUB** स्थापित किया जाएगा, जो इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग **1 हजार 200 करोड़ रुपये** की धनराशि, जो युवाओं के लिये विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस **YUVA HUB** के माध्यम से यह योजनायें समेकित रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। यह योजना **एक लाख से अधिक** युवाओं को स्वावलम्बन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में **YUVA HUB** की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार** तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिये **विशेष रोजगार योजना** संचालित हैं।
- **उच्च शिक्षा** को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में **पुलिस फोरेन्सिक यूनिवर्सिटी** की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में **“लॉ यूनिवर्सिटी”** की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में **आयुष विश्वविद्यालय** की स्थापना प्रस्तावित है।
- जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोण्डा में **इंजीनियरिंग कॉलेजों** की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

- प्रदेश के 18 मण्डलों में **अटल आवासीय विद्यालयों** की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस हेतु 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 305 **राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** स्थापित हैं, जिनमें युवाओं के उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के 71 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु 1 लाख 72 हजार 440 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2 हजार 963 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 4 लाख 58 हजार 243 है।
- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन** द्वारा प्रदेश के 14-35 आयु वर्ग के अल्पशिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को अल्प अवधि के निःशुल्क रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 8 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उनमें से 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवायोजित भी कराया जा चुका है। आगामी वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत **2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित** करने का लक्ष्य रखा गया है।

चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा

राष्ट्रीय विकास में प्रत्येक नागरिक के श्रम की भूमिका होती है। स्वस्थ समाज कर्म प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान समाज ही ऋद्धि-सिद्धि-समृद्धि प्राप्त करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य योगी सरकार की प्राथमिकता है। तीन वर्ष पहले तक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवायें ही बीमार रहीं हैं।

हमारी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत गिरावट लाने के लिये उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से एम0एम0आर0 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफेलाइटिस केन्द्र स्थापित किये गये तथा जापानी इंसेफेलाइटिस व एक्यूट इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध अभियान में 3 लाख 50 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में **टेलीमेडिसिन** की शुरुआत की गई है जिसके अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कन्ट्रोल रूम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को **मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला** का आयोजन किया जा रहा है।

- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में “महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान”, लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में “सुपर स्पेशिएलटी ब्लॉक” क्रियाशील हो चुके हैं।
- 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में पूर्वी एवं पश्चिमी क्लस्टर में 2 हजार 200 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है एवं ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा की वर्तमान फ्लीट में 250 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगियों तथा एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 1 लाख 55 हजार रोगियों को सेवा प्रदान की गयी है।
- 102 एम्बुलेंस सर्विसेज योजना के अन्तर्गत 2 हजार 270 एम्बुलेंस की सेवायें संचालित की जा रही हैं जिसके माध्यम से 3 करोड़ 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा चुकी है।
- स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और प्रदेश में चिकित्सा सुविधायें तेजी से बढ़ी हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 08 नये मेडिकल कॉलेज— हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर व मिर्जापुर का निर्माण कार्य चल रहा है। 13 नये मेडिकल कॉलेज— बुलन्दशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चन्दौली स्वीकृत हो चुके हैं।
- पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व० अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लखनऊ में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय **माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चिकित्सा विश्वविद्यालय** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेन्टर बलरामपुर** में स्थापित किया जा रहा है।
- प्रदेश के 07 नये मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष का पठन पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में 50-50 एम०बी०बी०एस० सीटों पर छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
- किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज, मेरठ में **डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर** की स्थापना की जायेगी। एस०जी०पी०जी०आई० में **एडवांस्ड डायबिटीज एण्ड इन्डोक्राईन साइंसेज सेन्टर** की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- **आयुष्मान भारत—नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों के परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये धनराशि तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

इस योजना से छूटे हुये पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा पृथक से **मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** एवं प्रदेश सरकार के प्रयासों से संक्रामक रोगों के रोकथाम, बचाव एवं उपचार के सम्बन्ध में कार्यक्रम परक एवं अभियान परक गतिविधियाँ संचालित की गई जिसके फलस्वरूप ए.ई.एम./जे.ई. रोगियों एवं मृतकों की संख्या में विगत दो वर्षों में निरन्तर कमी आई है।
- नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ रुपये एवं 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चिकृत कर 100 शैय्या चिकित्सालय में परिवर्तित किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार—विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओपीडी एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये एवं ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी** हेतु 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- एस0जी0पी0जी0आई0 हेतु 820 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिये 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेज, आजमगढ़ के लिये 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत 73 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि, उद्यान एवं सहकारिता

ऋषि और कृषि राष्ट्र जीवन के मुख्य अधिष्ठान हैं। ऋषि दृष्टि में अनुसंधान व शिक्षा की संस्कृति है। हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालने के तत्काल उपरान्त प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन करने का निर्णय लिया और इस निर्णय का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, किसानों को देय अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।

- वर्ष 2020–2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2018–2019 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604 लाख 15 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है।

- आगामी वर्ष में 61 लाख 43 हजार कुन्तल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य है।
- किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी गयी है। आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
- कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुये मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 1 हजार 694 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40 हजार 606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये प्रदेश की 100 मण्डियों में 1 हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये का व्यापार किया गया।
- प्रदेश की अन्य 25 मण्डियों को ई-नैम पोर्टल से जोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- मण्डी परिषद द्वारा नवम्बर, 2019 तक 2 हजार 363 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया। वर्तमान में 848 किलोमीटर लम्बे मार्गों को गड़ढामुक्त किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, लखीमपुर-खीरी में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
- प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।
- प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक-“**पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन**” **औषधीय पौध मिशन**, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017**, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- उक्त नीति उद्यमिता विकास के साथ ही कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्द्धन में सहायक सिद्ध होगी।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- प्रदेश सरकार द्वारा **46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का** भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है।
- पेराई सत्र 2019–2020 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनके द्वारा अब तक 552 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुये 60 लाख 26 हजार टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। प्रदेश में स्थापित कुल 50 आसवनियों द्वारा इस वर्ष के माह दिसम्बर, 2019 तक 50 करोड़ 54 लाख लीटर एथनॉल की आपूर्ति की जा चुकी है।
- राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2019–2020 हेतु अगेती प्रजाति गन्ने का मूल्य 325 रुपये, सामान्य प्रजाति गन्ने का मूल्य 315 रुपये एवं अस्वीकृत प्रजाति गन्ने का मूल्य 310 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।
- गन्ना की आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत **चीनी मिल, रमाला (बागपत)** की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 टी.सी.डी. की गई तथा इसके साथ 27 मेगावॉट को-जेन संयंत्र लगाया गया जिसका लोकार्पण 04 नवम्बर, 2019 को किया जा चुका है।
- **मोहिउद्दीन-मेरठ चीनी मिल** की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5,000 टी.सी.डी. तक बढ़ाया जा सकता है।
- **सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर** में 40 के.एल.पी.डी. और **सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़** में 30 के.एल.पी.डी. क्षमता की 02 नई डिस्टलरियाँ लगायी गयीं।
- बन्द पड़ी **चीनी मिल पिपराइच, गोरखपुर एवं मुण्डेरवा, बस्ती** के स्थान पर 5 हजार टी0सी0डी0 की 2 नई चीनी मिलें और 27 मेगावॉट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योजना के अन्तर्गत **7 हजार 23 गरीब मुसहर परिवारों** को आवास दिये गये। योजना के परफार्मेंन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये 6 हजार 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के अन्तर्गत 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिये शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 5 हजार 791 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मनरेगा** योजनान्तर्गत वर्तमान में 20 नवम्बर, 2019 तक 14 करोड़ 59 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये गये। आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। योजना हेतु 4 हजार 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पहली बार **वनटांगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति** के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गाँवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं मिल सकीं।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश में तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किये गये हैं। योजना हेतु आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** में 50 हजार 740 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है जिनमें मुसहर, वनटांगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आगामी वर्ष में योजना हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** हेतु 1 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप पेयजल योजना हेतु 3 हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना** अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता सम्बर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम** की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **युवक एवं महिला मंगल दल** को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में **चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों** की स्थापना की योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति

सिंचाई व्यवस्था को प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के माध्यम से सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित **“जल शक्ति विभाग”** के अन्तर्गत रखा गया है। इसी प्रकार, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर **“नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग”** का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 6 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली **“अटल भू-जल योजना”** प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में भूजल के संचयन को बढ़ावा देना और भूजल के अतिदोहन पर रोक लगाना है। प्रदेश की जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिये सरकार प्रदेश में अटल भूजल योजना का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन करायेगी।

- वर्तमान वर्ष में 14 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इनमें **अर्जुन सहायक नहर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना तथा मध्यगंगा (द्वितीय चरण) परियोजना** प्रमुख हैं।

- वर्षों से अधूरी पड़ी **बाण सागर**, पहुज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया। **इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई।** इससे लाखों किसानों को लाभान्वित किया गया।
- बुन्देलखण्ड में 8 हजार 384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया तथा 6 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण और कराया जायेगा।
- आगामी वर्ष में 04 परियोजनाओं— उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना, कचनौदा बाँध परियोजना, भौरट बाँध परियोजना तथा उमरहट पम्प नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मध्य गंगा (द्वितीय चरण) परियोजना** से 1 लाख 46 हजार हेक्टेयर तथा अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 44 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।
- **सरयू नहर परियोजना** हेतु 1 हजार 554 करोड़ रुपये, मध्य गंगा नहर, द्वितीय चरण हेतु 1 हजार 736 करोड़ रुपये तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजघाट नहर परियोजना, वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपये, 295 करोड़ रुपये तथा 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल जीवन मिशन** हेतु 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** के नाम से क्रियान्वित किये जाने हेतु 216 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को पुनर्विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन के लिये 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक “हर खेत को पानी” के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकासखण्डों जिनमें 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है में बोरिंग योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

वर्तमान सरकार ने विद्युत क्षेत्र में पुराने मिथकों को तोड़ा है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गयी है। गत दो वर्षों में **सौभाग्य** एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख घरों को विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है।

पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व ग्रामीण विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2017 से अब तक 1 लाख 21 हजार 324 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष विद्युतीकृत किये जाने हेतु कोई मजरा शेष नहीं है।

संयोजनों की शत प्रतिशत मीटरिंग करायी जा रही है। प्रदेश के 47 शहरों में वर्ष 2022 तक 40 लाख **स्मार्ट मीटर** लगाए जायेंगे। वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों के मुख्यालय स्थित महानगरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनवरी, 2020 तक लगभग 9 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा चुके हैं। इन मीटरों की स्थापना से बिलिंग क्षमता में लगभग 5 से 7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होगी।

- प्रदेश में विगत दो वर्षों में विद्युत आपूर्ति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ 80 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- गत वर्ष के 20 हजार 62 मेगावॉट के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21 हजार 632 मेगावॉट पीक मांग की आपूर्ति की गयी।
- वर्तमान वर्ष में शहरों तथा गाँवों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगभग 22 हजार 922 मेगावॉट विद्युत की उपलब्धता है जो माँग के अनुरूप पर्याप्त है। आगामी वर्षों हेतु अनुबन्धित क्षमता को मांग के अनुरूप बढ़ाया भी जा रहा है।
- वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5 हजार 800 मेगावॉट है, जिसको बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप

भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हजार 960 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं 32 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में वर्ष 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होगा।

- इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3 हजार मेगावॉट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना सम्भावित है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से **सौर ऊर्जा नीति-2017** क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये **ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर** का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफ टॉप के अन्तर्गत निजी आवासों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से प्लांट की स्थापना पर 15 हजार रुपये प्रति किलोवॉट अधिकतम 30 हजार रुपये प्रति उपभोक्ता हेतु अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 225 मेगावॉट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।

- **जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम** के अन्तर्गत बायोडीज़ल, बायो एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस, बायो सी.एन.जी. उत्पादन इत्यादि परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु लगभग 2 लाख 82 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।
- प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 2 हजार 727 **सोलर आर.ओ.वाटर संयंत्रों** की स्थापना करायी गयी है।
- **पं० दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना** में विकास खण्ड के एक या दो ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों से कराये जाने की योजना संचालित की गयी है।

आवास एवं नगर विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना** के लाभार्थियों को भवन आवंटन में समाज के अत्यन्त गरीब व्यक्तियों/लाभार्थियों का पंजीकरण शुल्क 25 हजार रुपये से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया तथा दिव्यांगजन हेतु भवनों के आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- **सबके लिये आवास योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।
- लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोयडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ **रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम** का कार्य प्रगति में है जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रुपये अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 32 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिये मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में **राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल** की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं सहायक नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाये जाने के उद्देश्य से **नमामि गंगे अभियान** संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत 45 सीवरेज परियोजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से 12 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं।

- गंगा नदी के किनारे 12 परियोजनाओं के अन्तर्गत 100 घाटों के निर्माण एवं पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत है। इनमें 26 घाटों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **अमृत योजना** के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पेयजल के 4 लाख 98 हजार 798 संयोजन व सीवरेज के 4 लाख 20 हजार 716 संयोजन दिये जा चुके हैं।
- लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहाँपुर में **इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय** लिया गया है। **उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019** का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है।
- **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीओएफओ घोषित हो चुके हैं।
- **स्मार्ट सिटी मिशन** के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 07 नगर निगमों— मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा—वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को **राज्य स्मार्ट सिटी** के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

बेसिक , माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा

- शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। **स्कूल चलो अभियान** के तहत 01 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया।
- **ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प** के माध्यम से 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। 15 हजार प्राथमिक विद्यालयों तथा 1 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया।
- वर्तमान शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 73 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं का वितरण कराया जा चुका है। आगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकाएं वितरित कराये जाने का लक्ष्य है।

- प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु **समग्र शिक्षा अभियान** का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18 हजार 363 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के स्कूलों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिये **उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018** लागू किया गया है।
- **“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”** योजना के अन्तर्गत 100 टॉपर छात्राओं, 100 टॉपर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टॉपर छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिया गया।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का चयन **उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज** के माध्यम से करने की नवीन व्यवस्था की गयी है तथा चयन में लिखित परीक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिये साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है।
- सहायक अध्यापक के 10 हजार 768 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है। प्रवक्ता के 3 हजार 794 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा अतिशीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक उपलब्ध होंगे।
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित चयन हेतु **उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज** का पुनर्गठन किया गया है। चयन बोर्ड द्वारा 7 हजार 482 सहायक अध्यापक एवं 1 हजार 290 प्रवक्ता के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा करायी गयी है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 314 प्रवक्ता एवं 1 हजार 337 सहायक अध्यापकों के परिणाम घोषित किये गये हैं।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

- राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

लोक निर्माण

- ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 2 हजार 305 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में लगभग 2 लाख 31 हजार किलोमीटर लम्बाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3 हजार 524 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **विश्व बैंक की सहायता** से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 830 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **एशियन डेवलपमेन्ट बैंक** की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की बाह्य परिधि में सर्विस रोड के निर्माण का निर्णय किया गया है।
- पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत **पूर्वांचल निधि** हेतु 300 करोड़ रुपये तथा **बुन्देलखण्ड निधि** के लिये 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **केन्द्रीय मार्ग निधि योजना** के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को पूर्ण करने हेतु 2 हजार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ऐसे राज्यमार्ग जो अभी भी सिंगल लेन/डेढ़ लेन चौड़े हैं, को कम से कम दो तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार 2 लेन विड पेव्ड शोल्डर अथवा 4 लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।
- पुलों के निर्माण हेतु 2 हजार 529 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

न्याय

हमारी सरकार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस हेतु हमारी सरकार ने विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयों एवं ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गयी हैं।

प्रदेश में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेन्सेज) ऐक्ट के अधीन प्रचलित अपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट्स की संख्या 81 है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के 25 कोर्ट, तथा 13 कामर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करायी गयी है। निर्वाचित सांसदों, विधायकों के लम्बित अपराधिक वादों के लिए 01 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हेतु मल्टीलेवल पार्किंग तथा कान्फ्रेंस रूम के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 20 कोर्ट रूम तथा 30 अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराया गया।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 194 नये कोर्ट रूम निर्मित किये गये हैं। जिला न्यायालय, इलाहाबाद में अधिवक्ताओं के लिए 39 चैम्बर्स एवं 02 बड़े हॉल निर्मित किये गये हैं।

सिविल जज जूनियर डिवीजन के 610 पदों पर तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के 51 पदों पर नियुक्ति हुई है।

- माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण कार्यो तथा मशीनें साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु 533 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण हेतु 6 करोड़ रुपये तथा समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये कार्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये तथा किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

कठोर कानून व्यवस्था स्थापित करने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किये गये और किये जा रहे अथक और सफल प्रयासों से प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रति जनसाधारण में विश्वास की भावना बलवती हुई है और अब जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है। इन भावनाओं को व्यक्त करते हुये मैं कहना चाहूँगा कि

भय के सब तटबंध तोड़कर जनता को विश्वास दिया है।
 रोकी अपराधों की आंधी, जन-जन को अहसास दिया है।
 भ्रष्टाचारी आतंकित हैं योगी की सरकार में,
 स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सफल प्रयास किया है।

खाद्य एवं रसद

- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत **रबी विपणन वर्ष 2019–2020** में 6 हजार 796 क्रय केन्द्र स्थापित कर 37 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की रिकॉर्ड खरीद की गयी।
- व्यापक कृषक हित को ध्यान में रखकर गेहूँ क्रय की अवधि को विस्तारित कर दिनांक 25 जून, 2019 तक गेहूँ क्रय का कार्य किया गया। इससे 7 लाख 53 हजार 414 किसान लाभान्वित हुये और 6 हजार 889 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया।
- **खरीफ विपणन वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत धान क्रय** का कार्य सम्पूर्ण प्रदेश में प्रारम्भ हो चुका है जो माह फरवरी, 2020 तक चलेगा।
- इस वर्ष भारत सरकार द्वारा धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1 हजार 815 रुपये प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1 हजार 835 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उतराई, छनाई की मद में 20 रुपये प्रति कुन्तल कृषकों को अतिरिक्त रूप से दिये जाएंगे। 3 हजार 799 क्रय केन्द्रों के माध्यम से अभी तक 53 लाख 15 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है। जिससे 6 लाख 58 हजार 41 किसान लाभान्वित हुये हैं तथा 8 हजार 966 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया।

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

गोवंश संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परम्परा है। संविधान का नीति निदेशक तत्व भी है।

- वर्ष 2018–2019 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2019–2020 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अक्टूबर, 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है।
- प्रदेश के 18 मण्डलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 4 हजार 900 से अधिक गोआश्रय स्थलों में लगभग 4 लाख गोवंश संरक्षित किये गये हैं। **मुख्यमंत्री सहभागिता** योजनान्तर्गत 46 हजार से अधिक गोवंश को इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिया गया है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका-मुँहपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर भारत

सरकार को प्रेषित किया गया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुँहपका रोग से मुक्त कराया जाना है।

- दुग्ध व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगारों हेतु आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है।
- वर्ष 2018-2019 में कार्यरत 7 हजार 293 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3 लाख 31 हजार लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1 लाख 73 हजार लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध बिक्री किया गया। वर्तमान वर्ष में कार्यरत 6 हजार 968 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2 लाख 26 हजार लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1 लाख 88 हजार लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध विक्रय किया जा रहा है।
- आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 5 हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 295 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- आगामी वर्ष में 1 लाख 93 हजार मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।
- आवासविहीन 1 हजार मत्स्य पालक परिवारों को 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटक आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 28 करोड़ 50 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37 लाख 80 हजार है। वर्ष 2019 में माह जुलाई तक 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 39 करोड़ 49 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 30 लाख 78 हजार है।
- **अयोध्या में दीपोत्सव** का आयोजन 26 अक्टूबर, 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4 लाख 04 हजार 26 से अधिक दीप जलाये गये। यह एक नया कीर्तिमान था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया।
- **अयोध्या** में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में

तुलसी स्मारक भवन के सुदृढीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु 18 हजार 311 करोड़ रुपये के निवेश हेतु प्राप्त 212 प्रस्तावों के सापेक्ष 105 पंजीकरण प्रमाण-पत्र निवेशकों को जारी किये जा चुके हैं। नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनायें प्रस्तावित हैं।
- प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों तथा पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन आदि कार्य किये जा रहे हैं।
- जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, रामलीला मैदानों की चाहरदीवारियों का निर्माण, गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।
- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वैदिक विज्ञान केन्द्र, के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु 8 करोड़ रुपये एवं सिन्धु दर्शन यात्रा अनुदान हेतु 10 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

वन स्थिति रिपोर्ट-2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है।

दिनांक 09 अगस्त, 2019 को **वृक्षारोपण महाकुम्भ** में एक ही दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। 09 अगस्त, 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया है।

मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है।

- वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है।
- वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु आई0आई0टी0, कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम-स्ट्राइप्स एप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।
- पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथीन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया।
- प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 15 शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा 14 नदी खण्डों में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना क्रियान्वित है। इसके अतिरिक्त एन0सी0आर0 क्षेत्र एवं लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद में काम्प्रीहैन्सिव प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- उत्तर प्रदेश पहले एम0एस0एम0ई0 के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था । वर्तमान सरकार ने ओ0डी0ओ0पी0 जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- “उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017” प्रख्यापित की गई है।
- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे बढई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु “विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना” लागू है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- खादी एवं ग्रामोद्योग में समुचित विकास एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 गठित की गयी है। योजना में एक ग्रामोद्योग समाधान सेल स्थापित किया जा चुका है जिसमें उद्यमियों की सभी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण तात्कालिक रूप से किया जा रहा है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1 लाख 91 हजार हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2 लाख 58 हजार पॉवरलूम एवं लगभग 5 लाख 50 हजार पावरलूम बुनकर हैं।
- आगामी वर्ष में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25 हजार बुनकरों के रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

समाज कल्याण

- वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1 हजार 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ** योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु **“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना”** प्रारम्भ की गयी है जिसके लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये 2 हजार 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं।
- पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 1 हजार 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन कल्याण

- **दिव्यांग पेंशन योजना** के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों** की स्थापना कराये जाने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिव्यांग दम्पतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु **पालनहार योजना** प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दम्पतियों जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों, के बच्चों के पालन-पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को चिन्हित कर कृत्रिम अंग, कैलीपर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजस्व

- भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अब तक 2 लाख 39 हजार 775 शिकायतें **भू-माफिया पोर्टल** पर दर्ज की गयीं, जिनमें से 2 लाख 36 हजार 642 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं।
- **एंटी भू-माफिया अभियान** के अन्तर्गत 52 हजार 882 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 21 हजार 419 राजस्व वाद, 753 सिविल वाद, 3 हजार 437 एफ0आई0आर0दर्ज करायी गयी हैं।
- प्रदेश में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये आगामी वर्ष में **राज्य आपदा मोचक निधि** हेतु 2 हजार 578 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। **राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि** हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुये आगामी वर्ष से **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 99 करोड़ रुपये तथा **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अन्तर्गत बीमा आवरण प्रदान कराये जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। **आम आदमी बीमा योजना** के अन्तर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित यथा-सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है। योजना हेतु 1 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-2019 (संशोधित अग्रिम अनुमान) में 64 हजार 330 रुपये आंकलित हुई है।
- नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 07 जनपदों यथा-पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज के 21 विकास खण्डों में योजना कार्यान्वित है। **बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट** कार्यक्रम के अन्तर्गत 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं, राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 91 हजार 568 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 37 हजार 500 करोड़ रुपये है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से 23 हजार 197 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है।

वाहन कर

वाहन कर से 8 हजार 650 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख रुपये (10,967.87 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 5 लाख 558 करोड़ 53 लाख रुपये (5,00,558.53 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 4 लाख 22 हजार 567 करोड़ 83 लाख रुपये (4,22,567.83 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 77 हजार 990 करोड़ 70 लाख रुपये (77,990.70 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3 लाख 18 हजार 884 करोड़ 17 लाख रुपये (3,18,884.17 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1 लाख 66 हजार 21 करोड़ रुपये (1,66,021 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 1 लाख 52 हजार 863 करोड़ 17 लाख रुपये (1,52,863.17 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये (5,12,860.72 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 3 लाख 95 हजार 116 करोड़ 95 लाख रुपये (3,95,116.95 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 17 हजार 743 करोड़ 77 लाख रुपये (1,17,743.77 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 12 हजार 302 करोड़ 19 लाख रुपये (12,302.19 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 8 हजार 500 करोड़ रुपये (8,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 3 हजार 802 करोड़ 19 लाख रुपये (3,802.19 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 22 हजार 322 करोड़ 87 लाख रुपये (22,322.87 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 18 हजार 520 करोड़ 68 लाख रुपये (18,520.68 करोड़ रुपये) रहना अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 27 हजार 450 करोड़ 88 लाख रुपये (27,450.88 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 53 हजार 195 करोड़ 46 लाख रुपये (53,195.46 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8 प्रतिशत अनुमानित है।

मान्यवर,

मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्यमंत्री जी तथा मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

बचाएँगे, सजाएँगे सँवारेंगे तुझे ! (यू.पी. को)
हर मिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे।
राह इमदाद की देखें—यह भले गौर नहीं!
हम 'नरेन्द्र भाई' के साथी हैं, कोई और नहीं।
हम वो गुंचे हैं जो बिजली पे हँसा करते हैं!
हम वो दीपक हैं जो आँधी में जला करते हैं।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2020—2021 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्

फाल्गुन 6, शक संवत् 1941

तदनुसार,

दिनांक : 18 फरवरी, 2020